But due to certain administrative problems this notification was rescinded through another notification of June, 1981.

There is no ceiling stipulation in the earlier notification. Again, the middle sector units have taken advantage of this lapse of the Government by going to the High Court of Madras in writ on the plea that since there is no ceiling now on the cottage sector, the middle sector units also become entitled to pay Rs. 1.60 per gross instead of the prescribed Rs. 4.50 per gross. The High Court has upheld their contentions on 8-12-1981 with no right of appeal to the Government. The middle sector units pay only Rs. 1.60 per gross now, instead of Rs. 4.50 per gross which will result in a loss of excise revenue to the tune of Rs. 2 crores a month, besides causing a serious threat to the very survival of 7000 cottage units which will not be able to compete with the marketing competence of the middle sector units. The apprehension that the middle sector units may even claim refund from 19-6-1980 may also become a reality in which case the Government would be losing nearly Rs. 40 crores in such a refund.

The absence of ceiling clause in the notification seems to have been brought to the notice of the Government as early as September, 1981 and yet the Government did not take any action till the date of judgment of the High Court of Madras.

I request the Government to issue a fresh notification re-imposing the ceiling of 120 million matches on the cottage sector match units.

(vi) FACILITIES FOR THE WORKERS EMPLOYED IN BRICK KILNS IN DELHI.

श्री चन्द्र पाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने वक्तव्य द्वारा सरकार का ध्यान मजदूरों के उस वर्ग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसका राष्ट्र के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये मजदूर वर्ग हैं ईंट भटटों पर काम करने वाला जो चौबीसों घंटे मालिकों की गुलामी करता है और आजीवन फटे हाल रहता है। हमारे देश में लाखों लोग मय अपनी स्त्री बच्चों के अपना वतन छोड़कर दूर-दूर तक भट्टों पर काम करने जाते हैं। दिल्ली में भी करीब तीन-चार सौ भट्टे होंगे जहां दूसरे प्रदेशों से मजदूर आकर काम करते हैं। यदि आप जाकर देखें तो मालूम होगा कि मालिकों द्वारा किस हद तक इन मजदूरों का शोषण किया जाता है और ये लोग कैसा नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं।

श्रीमान् दिल्ली में इस समय ईंट का भाव लगभग 400 रुपए प्रति हजार है और आपको आश्चर्य होगा कि जो मजदूर कड़कड़ाती हुई सर्दी तथा तपती हुई गर्मी में कठोर परिश्रम करके ईंटें थापता है, उसे मजदूरी मिलती है केवल 20 रुपए प्रति हजार और इस काम में सिर्फ आदमी ही नहीं बल्कि उसकी स्त्री और छोटे-छोटे बच्चे सब जुटते हैं। अब मैं आता हूं इनकी आवास व्यवस्था पर। भट्टों के मालिक इनको आवास के नाम पर जो झुग्गियां देते हैं, यदि आप उनका मुलाहिजा फर्माएं तो रोना आता है। ईंटों की दीवारें खड़ी करके उन पर सिरकी का पाल या छप्पर पर डाल दिया जाता है। उसकी ऊंचाई इतनी होती है कि आदमी भी खड़ा नहीं हो सकता। सारा परिवार उसी में सोता है और उसी में खाना बनाता है। दरवाजे पर किवाड़ नाम की कोई चीज नहीं होती। सर्दी गर्मी के थपेड़े और धूल मिट्टि के झोंके सब कुछ सहता है इस मजदूर का परिवार उस झुग्गी में। अभी पिछले तीन दिसंबर की बात है कि महरौली के पास विशनगढ़ में एक भट्टे की दो झुग्गियों में आग लग गई जिसमें मजदूरों का सब कुछ स्वाह हो गया इस कड़कड़ाती सर्दी में दो-तीन भट्टों पर मजदूरों के चार-पांच बच्चे मर चुके हैं। इन मजदूरों के लिए चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं। बच्चों की शिक्षा का कोई प्रबध नहीं।

श्री चन्द्र पाल शैलानी]

प्रौढ़ शिक्षा पर सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, किन्तु भट्टा मजदूरों को इससे कोई लाभ नहीं। सरकारी सस्ते राशन की दुकानें वहां नहीं हैं। मजबूरन उन्हें ऊंचे भाव पर गल्ला, चीनी तथा मिट्टी का तेल आदि आवश्यक वस्तुएं बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। और तो और पीने के पानी की भी इन मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। खुली टंकियों से जानवरों की तरह पानी पीना पड़ता है। मालिक लोग कभी समय पर इन मजदूरों को पैसा नहीं देते और न ही समय पर उनका हिसाब लिखते हैं। यदि किसी मजदूर पर मालिक का पैसा निकलता है तो वह मालिक उस मजदूर के स्त्री बच्चों को बंधक बना कर रख लेता है और अमानुषिक अत्याचार करता है। चूंकि ये ऐसे मजदूर हैं जो साल में आठ महीने अपने वतन से बाहर रहते हैं और चार महीने बरसात में अपने वतन जाते हैं। जब कभी जनगणा होती है या मतदाता सूची में संशोधन होता है और ये मजदूर अपने मूल स्थान पर नहीं मिलते तो मतदाता सूची से इनका नाम काट दिया जाता है और जनगणना में इन्हें शामिल नहीं किया जाता, इस तरह ये लोग भारत के नागरिक ही नहीं रहे। डाक तार की सुविधा भी इन लोगों को नहीं मिल पाती।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों की दैयनीय दशा एवं उनके कठोर परिश्रम को ध्यान में रखते हुए इनको ईंट पथाई का रेट बढ़ाकर कम से कम 30 रु० प्रति हजार किया जाय और उपरोक्त वर्णित समस्यायों का समाधान करके उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जायें।

(vii) DIFFICULTIES OF PEOPLE DUE TO EMPLOYEE'S STRIKE IN BIHAR.

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के प्रश्न की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

बिहार राज्य के करीब 6 लाख सरकारी सेवकों, जिनमें प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षक भी शामिल हैं, दिनांक 12 दिसम्बर 1981 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण राज्यभर में कामकाज प्रायः ठप्प हो गया है। प्रशासन पंगु की स्थिति में पहुंच गया है। स्कूलों में पढ़ाई बंद, हस्पतालों में मरीजों की दुखद स्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। पेयजल शहर में एवं अस्पतालों में बिल्कुल बंद बिजली भी अस्पतालों में बंद, छोटे बच्चे भूखे प्यासे अस्पतालों में हृदयविदारक स्थिति पैदा कर रहे हैं। मरीजों को भोजन एवं दवा देने के लिए एक भी नर्स नहीं है। आपरेशन, फियेटर, महिलाओं के प्रसूति-गृह एवं एमरजेंसी भी प्रायः बन्द पड़े हुए हैं। इन सरकारी कर्मचारियों की अभूतपूर्व हड़ताल के कारण आम जनता के कष्टों का और अन्त नहीं। अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि होम गार्ड या एन० सी० सी० या किसी भी अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के द्वारा कम से कम अस्पतालों में सेवा उपलब्ध करायें।

(viii) 'ONE DAY CEASE WORK' CALL BY COLLEGE AND UNIVERSITY TEACHERS ALL OVER THE COUNTRY.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): Sir, the college and University teachers all over the country are observing one day cease work today, at the call of the All India Federation of University and College Teachers Organisations to press their National Charter of Demands, which include:

(1) Solution of problems of DPEs, Librarians, Demonstrators, Assistant Lecturers, Cartographers etc., who have been long denied their dues.